न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 03 / 2017
RCMS Case No. 2017/00018

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री आनन्द कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुकत निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन अजमेर		1 सोहनलाल शर्मा पुत्र हरिराम शर्मा (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स विकास जनरल स्टोर्स, बाईपास रोड़, रायपुर 2 विजय कुमार शाहनी पुत्र नथुलाल शाहनी (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स विजय बैकर्स एवं कन्फैक्सनर्स न्यू मैजेस्टिक सिनेमा के पास, अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. श्री अरिहन्त चौपडा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांक 25/9/18

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.01.2015 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स विकास जनरल स्टोर्स, बाईपास रोड़, रायपुर पर दौराने गश्त पहुँचा, अप्रार्थी की उपस्थिति में वहां रखे हुए रस्क टोस्ट (विजय ब्राण्ड) के 10 पैकेट में से 1 पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा रस्क टोस्ट (विजय ब्राण्ड) को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–439 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिये गए रस्क टोस्ट (विजय ब्राण्ड) को Misbranded पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded रस्क टोस्ट (विजय ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में जिस कार्यवाही का जिक्र किया है, वह अवैधानिक रूप से की गई है। अप्रार्थी फर्म द्वारा किसी प्रकार से मिसब्राण्ड खाद्य सामग्री का उत्पादन, विक्रय नहीं किया है तथा न ही अप्रार्थी किसी प्रकार का अवैधानिक कार्य करता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने लाईसेन्स का नवीनीकरण नहीं होने का लाभ प्राप्त करते हुए प्रार्थी द्वारा यह सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तथाकथित रस्क टोस्ट (विजय ब्राण्ड) का उत्पादन नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जिस रस्क टोस्ट (विजय ब्राण्ड) का विर्निमाण किया जाता है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। यदि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा तैयार की जा रही सामग्री मानक नियमों के विपरित होने का अंदेशा होता, तो प्रार्थी को सीधे अप्रार्थी की फर्म से जांच करनी चाहिये थी, जो प्रार्थी द्वारा नहीं की गई तथा अपने प्रभाव के व्यक्तियों को गवाह बनाते हुए जैर प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित कार्यवाही की गई है, जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करावें।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.01.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से रस्क टोस्ट (विजय ब्राण्ड) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–439 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। उक्त मौका फर्द रिपोर्ट पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को किसी प्रकार की सामग्री का विक्रय नहीं किया गया है, जबकि पत्रावली के संलग्न Delivery Challan No. 12164 Date 10 Jan. 2016 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 की फर्म से अप्रार्थी संख्या 1 को टोस्ट के कुल 30 कार्टून दिये गये है। इस कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्य सत्य से परे पाये जाते है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./47/एक्ट/2016/79 दिनांक 27.01.2016 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–425 को Misbranded माना है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा Misbranded खाद्य वस्तु रस्क टोस्ट (विजय ब्राण्ड) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा Misbranded खाद्य वस्तु रस्क टोस्ट (विजय ब्राण्ड) का विनिर्माण करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत 1,50,000/– एक लाख पचास हजार रूपये कुल 1,75,000/– एक लाख पचहत्तर हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 25/9/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली